विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

F.7-3/2012(MPC) **May, 2014**

सार्वजनिक सूचना

विषयः देश में विद्यमान जाली विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 आयोग के प्रति दायित्व दर्शाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानकों के अनुरक्षण हेतु ऐसे सभी कदम उठाये जाएँ, जिन्हें उपयुक्त माना जाता है। यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार, केवल ऐसे विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार है जिसे संसद के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो अथवा राज्य सांविधि अथवा मानक विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अथवा संसद के अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त स्थापित ऐसे सभी संस्थान ही डिग्रियाँ प्रदान कर सकते हैं जिन्हें यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 22 (3) में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, यू.जी.सी. अधिनियम के अन्तर्गत "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग किसी भी ऐसे संस्थान द्वारा किया जा सकता है जो केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य द्वारा यह प्रयोग निषिद्ध है।

उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए समस्त छात्रों एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक निम्नलिखित ऐसे 21 स्वनिर्मित, गैर मान्यताप्राप्त संस्थानों को चिह्नित किया है जो 9 राज्यों में आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सक्रिय हैं। इन समस्त संस्थानों को जाली घोषित कर दिया गया है तथा इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है।

बिहार

1. मैथिली विश्वविद्यालय/ यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार।

दिल्ली

1. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
2. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
3. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
4. ए.डी.आर–सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, ए.डी.आर. हाउस, 8 जे–गोपाला टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।

कर्नाटक

1. बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगाम (कर्नाटक)।

केरल

1. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, कृष्णट्टम, केरल।

मध्य– प्रदेश

1. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)।

महाराष्ट्र

1. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।

तमिलनाडु

1. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु ।

पश्चिम बंगाल

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकता।

उत्तर प्रदेश

1. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू.पी)/जगतपुरी, दिल्ली।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय), प्रयाग, इलाहाबाद (यू.पी.)।
3. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (यू.पी.)।
4. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ़ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर, (यू.पी.)।
5. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ, (यू.पी.)।
6. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला, मथुरा (यू.पी.)।

7. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (यू.पी.)।

8. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोडा, माकनपुर, नोएडा, फेज– (II) (यू.पी.)।

9. गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा (यू.पी.)।

***भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से संबंधित मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।**

ऐसे जितने भी स्व–अभिकल्पित, अमान्य एवं ग़ैर–अनुमोदित संस्थान हैं। उन्हें एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा स्नातक पूर्व अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करने अथवा भ्रामक विज्ञापन देने पर कठोर कारवाई की जाएगी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और भारतीय दण्ड संहिता सहित विहित कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत है।

सामान्य सूचनार्थ इच्छुक छात्रों को परामर्श/चेतावनी दी जा रही है कि वे ऐसे स्व–अभिकल्पित, अमान्य एवं ग़ैर–अनुमोदित संस्थानों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का अनुसरण न करें। ऐसे संस्थानों से डिग्रियाँ प्राप्त करने तथा शैक्षणिक अध्ययन का अनुसरण करने के लिए यदि कोई संबंध रखता है तो वह छात्र/ छात्रा अपने ही जोखिम/दायित्व पर ऐसा करेगा/करेगी।

अतः छात्रों, उनके माता–पिता एवं जन सामान्य को परामर्श दिया जाता है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in का प्रयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची के लिए करें तथा ऐसे ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश लें। साधारण जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट में अमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो की सूची भी डाली हूई है तथा ए.आई.सी.टी.ई.(AICTE) की अमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो की सूची के लिए AICTE website:- www.aicte.ernet.in का उपयोग करें ताकि छात्र अमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश ना लें क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों की डिग्री मान्यता प्राप्त नही होती है। यदि उनके संज्ञान में कोई अवैध अथवा अमान्य विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं तो उन्हें यू.जी.सी. अथवा उपयुक्त सांविधिक नियामक निकायों/परिषद्ों के संज्ञान में लाया जाए।

सचिव